हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

वर्ष : 10 अंक : 6 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जून, 2019

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों, सभी चयन आयोगों व बोर्डों को भेजा पत्र

संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए : समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने सभी राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों एवं मुख्य सचिवों, सभी चयन आयोगों, सभी रेलवे बोर्डों एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि कृपया संवैधानिक प्रावधानों का पालन करें और दिनांक 15 अगस्त, 2018 के बाद विज्ञापित सभी भर्तियाँ या शैक्षणिक प्रवेश ओ.बी.सी. आरक्षण के बिना किया जाए।

पत्र में अनुरोध किया गया है कि कृपया 102 वें संविधान संशोधन का अवलोकन करें। इस संविधान संशोधन द्वारा सभी राज्यों से ओ.बी.सी. घोषित करने की शक्तियाँ छीनकर संसद में निहित की जा चुकी हैं। संविधान में ओ.बी.सी. घोषित करने की प्रक्रिया एवं ओ.बी.सी. की परिभाषा भी शामिल कर दी गयी है। अब ओ.बी.सी. उसी को माना जावेगा जो अनुच्छेद 342(ए) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जावे। यह संविधान संशोधन दिनांक 15 अगस्त,2018 से पूरे देश में लागू हो चुका हैं। इस तारीख के बाद आज तक राष्ट्रपति द्वारा किसी को भी ओ.बी.सी. घोषित नहीं किया गया है। आप यह जानते है कि संविधान से ऊपर कोई कानून,अधिसूचना या परिपत्र नहीं हो सकता है। स्पष्ट है कि दिनांक 15 अगस्त ,2018 के बाद इस देश में कोई भी ओ.बी.सी. मौजूद नहीं है। अत: इस तारीख के बाद किसी भी विज्ञप्ति में ओ.बी.सी. का आरक्षण दिया जाना असंवैधानिक है,अविधिक है, भारत के राष्ट्रवादी नागरिकों के संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन है।

प्रकटत: आज की तारीख में इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक कमजोर वर्ग (एससी-एसटी-ई.डब्ल्यू.एस) के आरक्षण ही विद्यमान हैं।

जब तक नेशनल कमीशन फोर बैकवार्ड क्लासेज (एन.सी.बी.सी) का गठन नहीं होता, इसके द्वारा ओ.बी.सी. के मानदण्ड तय करके पूरे अध्ययन के बाद ओ.बी.सी. में शामिल वर्गों/समुदायों की अभिशंषा नहीं की जाती ,संसद द्वारा इस अभिशंषा पर चर्चा के बाद बिल पारित नही किया जाता और संसद द्वारा पारित बिल के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ओ.बी.सी. में शामिल वर्गों/ समुदायों की घोषणा नहीं की जाती, तब तक संवैधानिक रूप से किसी भी ओ.बी.सी. को किसी भी नौकरी में या शैक्षणिक पदों पर या अन्य किसी प्रकार से कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

यह सर्व विदित तथ्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न संविधान पीठों द्वारा जारी विभिन्न निर्णयों में तथा एन.सी.बी.सी एक्ट के प्रावधानों में ये बाध्यकारी निर्देश हैं कि ओ.बी.सी. आरक्षण की 5 और 10 वर्षों के अन्तराल से समीक्षा की जावे। दुर्भाग्यवश कोई भी सरकार 1992 के बाद से अभी तक ऐसी किसी समीक्षा की हिम्मत नहीं कर सकी हैं। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि प्रत्येक राज्य में एक-दो या तीन-चार दबंग और सम्पन्न जातियाँ ओ.बी.सी की सूची में शामिल हो गयी हैं जिससे वास्तविक पिछडों और वंचितो को आरक्षण या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। इन दबंग और सम्पन्न जातियों के धनाढ्य लोग जहाँ वास्तविक पिछडों और वंचितों का हक लूट रहे हैं वही पूरे देश में जातिगत वैमनस्य फैलाकर और जातिवादी राजनीति करके जातिगत गृहयुद्ध की तरफदेश को धकेल रहे हैं। भारतीय संसद ने इस पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए, वास्तविक गरीब और वंचितों तक आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए तथा देश को सन्निकट जातिगत गृहयुद्ध से बचाने के लिए बड़ी सूझबूझ के साथ भारतीय संविधान में 102 वाँ संशोधन किया है। संविधान के प्रावधानों की पालना करना प्रत्येक प्रधिकारी का परमपुनीत कर्त्तव्य है।

पत्र में प्रार्थना की गई है कि जब तक राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342(ए) के अधीन अधिसूचना जारी करके ओ.बी.सी. की घोषणा नहीं की जाती है तब तक यह सुनिश्चित करे कि 15 अगस्त, 2018 के बाद विज्ञापित किसी भी भर्ती या शैक्षणिक या राजनैतिक क्षेत्र में ओ.बी.सी. वर्ग में कोई आरक्षण अथवा अन्य लाभ नहीं दिया जावे।

पत्र में कहा गया है कि यदि आप संवैधानिक प्रावधानों की पालना करने और करवाने में विफल रहते हैं तो हमें मजबूर होकर न्यायपालिका की शरण में जाना होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।

अध्यक्ष की कलम से

''समता पीपल वन'' और ''समता वृक्ष''

साथियों, आप सब के सहयोग से पिछले ग्यारह सालों में समता आन्दोलन ने जो मुकाम हासिल किया है उसी का फल है कि आज सरकार और प्रशासन हर स्तर पर हमारी आवाज सुनी जा रही है। लेकिन यह प्रयास नहीं है। हमारा उद्देश्य इससे भी आगे और बड़ा है। पहले भी कुछ सालों से छुट-पुट रूप से ऐसा करते रहे है लेकिन इस साल बरसात के मौसम में हमारा प्रत्येक सदस्य से आव्हान है कि ''समता पीपल वन'' और ''समता वृक्ष'' कार्यक्रम चलाया जाना है।

हम सब जानते है कि समता मूलक समाज की स्थापना के लिए पर्यावरण का प्रदूषण मुक्त होना भी एक बड़ी शर्त है। और इस शर्त को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जाये। ''समता पीपल वन'' और ''समता वृक्ष'' के माध्यम से हम एक तरह से सरकार के सामाजिक वानिकी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना योगदान देंगे। कहा तो ये जा रहा है कि देश को 500 करोड़ वृक्षों की तत्काल आवश्यकता है जो निश्चय ही एक बहुत बड़ा लक्ष्य है लेकिन गिलहरी की पूंछ की तरह हमारा हर कार्यकर्ता से निवेदन है कि वो इस बरसात में कम से कम पाँच-पाँच पीपल एवं बरगद के वृक्ष अवश्य लगाऐं अथवा लगवाऐं।

पुराणिक आख्यानों के अनुसार वैसे तो घास से लेकर छोटा-बड़ा हर पेड़ उपयोगी और महत्वपूर्ण है लेकिन पीपल और बरगद श्रीवृक्ष की श्रेणी में इसलिए आते है कि इनमें लेटिक्स अर्थात दूध की मात्रा पायी जाती है इससे वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता बढ़ जाती है। आईये संकल्प को पूरा करें।

ई.डब्ल्यू.एस.आरक्षण की जटिलताएँ

शिमला: अमर उजाला की खबर के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण का रोस्टर लागू हो गया है। सीयू ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर मैरिट सूची जारी कर दी है। इसमें गरीब सवर्णों के 100 में से अगर 10 अंक से भी कम है तो भी उन्हें प्रवेश मिलेगा। विश्वविद्यालय में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए कई अभ्यार्थियों ने आवेदन किया है।

पहली मैरिट सूची के आधार पर काउन्सलिंग में प्रमाण पत्र जांच के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण के तहत 8 लाख सालाना आय वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को ही लाभ दिया जा रहा है।

दूसरी तरफ ट्रिब्यून अखबार के अनुसार ईडब्ल्यूएस कोटे का दुष्प्रभाव जनरल कैटेगरी पर ही पड़ने की संभावना है। सूचना के अनुसार हरयाणा में सरकार ने निश्चित किया है कि वर्तमान में जो सीटें उपलब्ध है उन्हीं में से ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाए। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के अवसर कम हो रहे है। एक विद्यार्थी नीतिश कुमार के अनुसार अभी तक यह संशय बना हुआ है कि सरकार सीटे बढायेगी या नहीं बढायेगी। अगर नहीं बढाती है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जहाँ की कट-ऑफ बहुत ऊंची जाती है वहां इस रिजर्वेशन के कारण सीट नहीं बढाने पर प्रतिभावान छात्रों को नुकसान होने की संभावना है।

जहां तक बात हरयाणा की है तो 20 प्रतिशत सीटे एससी के लिए, 27 प्रतिशत ओबीसी के लिए और तीन प्रतिशत स्पोर्टसमेन कोटे के लिए होता है जो कुल मिलाकर 50 प्रतिशत बनता है। इस प्रदेश में आर्थिक रूप से बैकवर्ड पर्सन को जो 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था वो 2018 में अदालत द्वारा स्टे कर दिया गया अब उसी 10 प्रतिशत को ईडब्ल्यूएस में स्थानान्तरित किया जा रहा है। इसलिए अनारक्षित 50 प्रतिशत आरक्षण घट कर केवल 40 प्रतिशत रह गया है।

लैटरल एन्ट्री बनाम आरक्षण

नई दिल्ली। केन्द्रीय नौकरशाही में लैटरल एन्ट्री को लेकर इन दिनों बहस देखने को मिल रही है। कतिपय लोगों का मत है कि उच्च पदों पर एससी-एसटी-ओबीसी के अधिकारी वैसे ही कम है इस तरह से उनका प्रतिनिधित्व और घट जाएगा। यहाँ सुब्रहम्णयम स्वामी का उल्लेख किया जा रहा है जिसके अनुसार करीब दो साल पहले जोधपुर राजस्थान में एक अखबार के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आरक्षण को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी, ऐसा करना पागलपन होगा, लेकिन हमारी सरकार आरक्षण को उस स्तर पर पहुंचा देगी जहाँ उसका होना या नहीं होना बराबर होगा। यानि आरक्षण निरर्थक हो जाएगा। केन्द्र सरकार ने नौकरशाही में बारह के क्षेत्रों से योग्य लोगों को लाने की एक नई प्रणाली लागू की है। जिसमें आवेदक से कोई परीक्षा नहीं ली जावेगी और उनकी नियुक्तियों में कोई आरक्षण भी लागू नहीं होगा। यानि जिस तरह से अभी यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अफसर एससी-एसटी-ओबीसी कैटेगरी के आते है, वैसा इन नियुक्तियों में नहीं होगा। इसे ही लैटरल एन्ट्री का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसे नौ अफसर आ भी चुके है, जिन्हें जोइन्ट सैक्रेटरी के स्तर विभिन्न मंत्रालयों में पदभार संभालना है। जोइन्ट सेक्रेटरी या संयुक्त सचिव स्तर के अफसर सरकार के लिए नीतियाँ बनाते है। इनके अलावा चालीस अन्य अफसर भी निदेशक और उप सचिव पद पर लिये जायेंगे। सरकार का मत है कि इस योजना के तहत भरे जाने वाले पद एकल पद की श्रेणी में आते है अत: आरक्षण नियम लागू नहीं होते है।

सम्पादकीय

ज़हर के ऊपर ज़हर मोहरा

कुछ तो बड़ा होने वाला है। शायद बहुत बड़ा। यह कोई विचार मात्र नहीं वरन तथ्याधारित अनुमान है। सबसे पहला तथ्य ये कि कोई तीन दशकों बाद केन्द्र में प्रचण्ड बहुमत वाली एकल पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबक विश्वास का नया नारा दे चुके हैं। लोकसभा के अलावा शीघ्र ही राज्यसभा में भी सत्तारूढ़ दल का बहुमत प्राय: सुनिश्चित है। यदि कोई जोड़-तोड़ न हुई तो इसबार भी संसद में कोई औपचारिक विपक्ष नहीं होगा। इसके लोकतांत्रिक खतरों पर भले ही चर्चा की जा सके, लेकिन वर्तमान का सच ठीक ऐसा ही है।

वर्णित तथ्यों में कुछ और भी आंकड़े जोड़े जा सकते हैं लेकिन सारांश फिर भी ''कुछ बड़ा होने वाला है'' की तर्ज पर ही रहेगा। जिस तरह से राष्ट्रवाद की लहर पूरे देश में दिखाई दी है और विजेताओं के मत का अंतर जितना बड़ा है वो अप्रत्याशित होने के साथ देशवासियों की आकांक्षाओं को बढाने वाला है। दूसरी बात ये कि मायावती, अखिलेश, लालू यादव आदि जात की नीति पर चलने वाले नेता ठुकरा दिये गये हैं। मुसलमानों की वोट बैंक और फतवों की हवा-हवाई तस्वीर भी कुछ संकेत दे रही है। लेकिन इस सबके बीच यह तथ्य भी है कि इससे पहले भी एक पार्टी को ऐसा ही प्रचण्ड बहुमत मिला था। लेकिन उस पार्टी ने विवेक से काम लेकर देश की दुखती रग ''दल-बदल'' के विरूद्ध कानून बनाकर लोकतंत्र को शुद्ध किया और पुष्ट भी।

स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार से भी ऐसी आशा करना सहज स्वाभाविक है। सरकार को नाम देकर एक दो अंक से परिभाषित करना लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। पहले भी कई सरकारें दो से अधिक बार रही हैं। मूल बात ये है कि इस प्रचण्ड बहुमत का प्रयोग देशहित में कैसे हो। क्योंकि पिछले पाँच साल रही इसी सरकार ने ये कहकर निकाल दिये कि हमें पाँच साल दो ..... फिर देखना। जनता ने दे दिये हैं। परन्तु सत्ता के विश्लेषक जानते है कि 130 करोड़ की आबादी और सैकड़ों पार्टियों के होते प्रचण्ड बहुमत भी सही कदम उठाने से पहले तीन बार सोचता है।

देश दलों से अधिक जातियों में विभाजित है। इसे मानने से इन्कार करने का अवसर वर्तमान सरकार के पास है क्योंकि जन मानस ने बता दिया है कि वो जात-धर्म से बहुत आहत हो चुकी है। अब समता और सद्भाव जरूरी है। विभेद की नीति से देश की विकास गति मंद ही रहती है। अत: इधर-उधर से छनकर आ रही सूचनाऐं उत्साहित करती हैं। ऐसी ही एक सूचना अलग-अलग माध्यमों से आ रही है कि देश में से जात आधारित आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। इसके लिए पहले तो सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के अमले को घटाकर 40 प्रतिशत या इससे भी कम करने का प्रयास पिछले लगभग तीन दशकों से चल रहा है। इसी तरह सरकार पोषित कम्पनियों के बोझ से सरकार अपने को अलग करती जा रही है। यानि जातिवादी के जहर पे ये प्रयोग जहर मोहरा की तरह कारगर करने की सोच दीख रही है।

नयी और खास बात ई.डब्ल्यू.एस. को आरक्षण और ओबीसी को तीन हिस्सों में बांटने की सामने आ रही है। ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण से देश में जाति आरक्षण पर सीधा प्रहार हुआ है। यदि आने वाले समय में सरकार और संसद मिलकर ई.डब्ल्यू.एस. की शर्तों को एससी-एसटी वर्गों पर भी लागू कर देती है तो देश को दूसरी आजादी के जश्न मनाने का तोहफा देगी। यह सच में निराशाजनक और सम्भवत: शर्मनाक है कि देश के विकास के पहियों पर जातियों का घुसा लगा था। जो भी इससे मुक्ति दिलायेगा वही असल में राष्ट्रवादी होगा। आइये नये और सही राष्ट्रवाद की प्रतीक्षा करें।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

अपील

''समता प्रकाश'' स्मारिका हेतु

समता आन्दोलन भारत का सबसे बडा समतावादी गैर-राजनेतिक संगठन है, जो एक दशक से भारतीय संविधान के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करवाने, सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिलाने,जातिवाद-सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सभी संवैधानिक प्रयासों को अपनाते हुये प्रजातांत्रिक रूप से क्रियाशील है। समता आन्दोलन न केवल राजस्थान अपितु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू आदि प्रदेशों में भी जाति आधारित व्यवस्था से अलग समता मूलक समाज की संरचना के लिए काम कर रहा है।

समता आन्दोलन समिति अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अपनी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' का प्रकाशन करने जा रही है। इस स्मारिका में आरक्षण एवं समतावादी अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी, न्यायिक निर्णयों की जानकारी तथा समता आन्दोलन की 11 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी समाहित की जावेगी। इस स्मारिका को राजस्थान सहित कुल 10 राज्यों में 5000 से अधिक प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को भेजा जावेगा। इस स्मारिका को समता आन्दोलन की वेबसाइट जिसको देखने वालों की संख्या (viewership) 5.00 लाख से अधिक हो चुकी है, पर भी स्थाई रूप से अपलोड किया जावेगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' के लिए अपनी फर्म/ कम्पनी/संस्थान का विज्ञापन देने का अनुग्रह करे। विज्ञापन दरें इस प्रकार है:-

1	मुख्य कवर का पृष्ठ भाग एवं अन्तिम कवर का बाह्य भाग	रूपये 2,50,000/-
2	अन्तिम कवर का अन्दरूनी भाग	रू. 1,50,000/-
3	स्मारिका के अन्दर चिकना पूरा पृष्ठ	रू. 1,00,000/-
4	स्मारिका के अन्दर चिकना आधा पृष्ठ	रू. 50,000/-
5	स्मारिका के अन्दर चिकना चौथाई पृष्ठ	रू. 30,000/-
6	स्मारिका के अन्दर सामान्य पूरा पृष्ठ	रू. 50,000/-
7	स्मारिका के अन्दर सामान्य आधा पृष्ठ	रू. 25,000/-
8	स्मारिका के अन्दर सामान्य चौथाई पृष्ठ	रू. 15,000/-

स्मारिका का आकार ए-4 निर्धारित किया गया है

विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री के प्रारूप हेतु हमारे प्रान्तीय कार्यालय ''जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर जयपुर या पी.एन.शर्मा, जयपुर मोबाइल नम्बर 9460385722, कैप्टन गुरविन्दर सिंह, नई दिल्ली मो.न. 9999555726, धर्मवीर सिंह, हरियाणा मो.न. 9355084877, गिरजेश शर्मा, उत्तर प्रदेश 9412445629, धीरज जे. पंचाल, गुजरात मो.न. 9428600409, अशोक शर्मा, मध्यप्रदेश मो.न. 7552576022, वैंकटरमण कृष्णमूर्ति, कर्नाटक मो.न.9538966339, श्रीराम पंसारी, चण्डीगढ मो.न. 9876127663, सी.एम.डिमरी, उत्तराखण्ड मो.न. 9411103390, संजीव शुक्ला, मुम्बई मो.न. 9821390321 या ई-मेल samtaprakash2019@gmail. com पर सम्पर्क कर सकते है।

कृपया चैक/ड्राफ्ट समता आन्दोलन समिति के नाम बनवायें।

हमें विश्वास है कि आपका दिया हुआ विज्ञापन इस राष्ट्रवादी समता आन्दोलन द्वारा चलाये जा रहे समता मूलक समाज की संरचना के सफल प्रयासों में सहयोग का कार्य करेगा।

'सेव मेरिट, सेव नेशन' मेरिट बचाने आगे आए 62 संगठन

नागपुर। आरक्षण के नाम पर सरकार राजनीतिक रोटियां सेंक रही है। सरकार द्वारा 78 प्रतिशत तक आरक्षण को लाकर रख दिये जाने से अनारक्षित वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आरक्षण की वजह से मेरिट पर अन्याय न हो, इस भूमिका के साथ 'सेव मेरिट, सेव नेशन' का नारा लगाते हुए विविध जाति, धम्र के संगठनों ने एकत्रित होकर भव्य मोर्चा निकाला, इस दौरान आरक्षण का समर्थन करने वाली सरकार की नीति का विरोध करते हुए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण मंजूर नहीं होने पर जोर दिया गया।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए स्नातकोत्तर वैद्यकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 78 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का अध्यादेश जारी किया। सरकार की यह नीति अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को वैद्यकीय पाठ्यक्रम से वंचित रखने वाली है। सरकार की इस नीति का विरोध करने के लिए नागपुर में एक आंदोलन शुरू हुआ है। विद्यार्थी और पालकों के साथ ही विभिन्न समाज, जाति-धर्म के संगठन एकत्रित आए हैं। सरकार का 78 प्रतिशत से ऊपर जाने से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम की 10-12 प्रतिशत सीटें ही अनारक्षित वर्ग की झोली में आ रही है। कुछ वैद्यकीय शाखाओं के दरवाजे अनारक्षित वर्ग के लिए बंद हो गए है। इन संगठनों आक्रोश मोर्चे के रूप में नजर आया।

यशवंत स्टेडियम से निकल इस मोर्चे में हाजारों लोग शामिल हुए। इनमें विद्यार्थी, पालक और शहर के प्रसिद्ध डाक्टरों का समावेश था। मोर्चे की शुरूआत में बारिश आने के बाद भी लोगों का उत्साह कायम रहा। हाथों में 'सेव मेरिट, सेव नेशन' स्लोगन लिखी तख्तियॉ, पोस्टर्स, बैनर लेकर आन्दोलनकारी सरकार की आरक्षण की नीति के खिलाफ नारे लगा रहे थे। यह मोर्चा संविधान चौक पर पहुंचने के बाद सभा में तब्दील हो गया। सभा के बाद जिलाधिकारी अश्विन मुदगल को ज्ञापन सौंपा गया।

ये संस्थाऍं हुई शामिल

नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत, नागपुर माहेश्वरी सभा, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, आर्य वैश्य समाज, अग्रवाल समाज, चितपावन ब्राहम्ण संघ, अ.भा. ब्राहम्ण महासंघ, वैश्य एकता परिषद, श्री अग्रसेन मंडल, विदर्भ कायस्थ समाज, साउथ इंडियन एसोसिएशन, नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स लि., गुजराती समाज, सनातन धर्म युवक सभा, कैथोजिक एसोसियेशन ऑफ नागपुर, एबीबीएम महिला आघाडी, जैन समाज, पंजाब सेवा समिति, वेद प्रचारिणी सभा, इंतेझामिया कमेटी मेहंदीबाग, स्थानकवासी जैन समाज, बोहरा मुस्लिम समाज, आर्य समाज दयानंद भवन, श्री अग्रसेन मंडल, माहेश्वरी पंचायत, विदर्भ टैक्सपेयर्स एसोसियेशन, अ.भा. बहुउद्देशीय हिंदी भाषीय ब्राहम्ण महासंघ, दिगम्बर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट, जैन राजनैतिक चेतना मंच, श्री दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल, दिगम्बर जैन महासमिति महाराष्ट्र, राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच, पंजाबी ब्राहम्ण एसोसियेशन, पूजा सकहार सिंधी पंचायत, नेशनल एचआरडी नेटवर्क नागपुर, ज्येष्ठ मित्र मंडल, अयोध्यावासी वैश्य समाज, केशरवाणी वैश्य कल्याण समिति, खंडेलवाल समाज, स्नेही इंजीनियर संस्था, श्री बीकानेरी माहेश्वरी पंचायत, साहू समाज, तेली समाज, राजस्थानी महिला मंडल, पाटीदार समाज, सनातन धर्म महिला समिति।

पौराणिक कथन : 'अरूण''

श्री विष्णुवाहन गरूड़ के
भाई और सूर्य के सारथि।
ये तार्क्ष्य और विनता के
पुत्र थे।

आडम्बर का ढोल पीटकर,
कब तक सच को झुठलाऐंगे।
जाति कार्ड खेलने वाले,
लौट के बुद्धू घर जायेंगे।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाएं'

कविता

नया सूर्य मुस्काया है

नई सुबह की आशा लेकर,
नया सूर्य मुस्काया है।
जात के गुर्गों बिस्तर बांधों,
नया जमाना अब आया है।
बहुत सताया भारत माँ को,
खुलकर हिंसा गान किया है।
अब न चलेगी धक्काशाही,
समय ने फिर दोहराया है।
जैसे बिच्छू के सब बच्चे,
माँ का पेट काटकर खाते।
जातिवादी के हरकारे भी,
भारत माँ को रोज सताते।
सत्तर सालों उड़ाकर माल,
अब तकखुद को निर्बल कहते।
ऐसे सभी नाशुक्रे मानुष,
क्यों न जा जंगल में रहते।
पाला-पोसा लाड प्यार से,
फिर भी चलना सीख न पाये।
संविधान की जोंको को अब,
नमक डालकर दूर भगायें।।
सावधान हे भारत के जन,
तमस को फिर न घिरने देना।
भारत अब से शिखर बनेगा,
जन के मन ने फिर गाया है।
अब न चलेगी धक्का शाही
समय ने फिर दोहराया है।
नई सुबह की आशा लेकर,
नया सूर्य मुस्काया है।
जात के गुर्गों बिस्तर बांधों,
नया जमाना अब आया है।

- ऋषिराज राठौड़ -

श्रेष्ठ कार्यकर्ता होंगे सम्मानित

जयपुर। प्रदेश मुख्यालय जयपुर में 16 मई को समता आन्दोलन समिति का स्थापना दिवस समारोह बड़ी धूम-धाम से सम्पन्न हुआ। इस स्थापना दिवस समारोह में व्यवस्था संभालने और आर्थिक मदद इकठ्ठा करने वाले तीन कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत और सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आर.एन.गौड

दीपक सिंघल

पीयूष गोयल

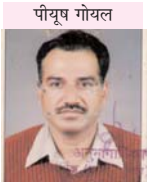

देश के भावी जीवन की नींव: प्रशासन की गुणवत्ता

गतांग से आगे:-

थोड़ी देर के लिए विचार करें और देखें कि क्या उपर्युक्त अनुच्छेद को हम इस प्रकार नहीं पढ़ सकते- ''सामान्य प्रशासन की गुणवत्ता और संस्थाओं के कुशल संचालन का सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शासन-प्रशासन की गुणवत्ता न केवल व्यक्ति की, अपितु पूरे देश की प्रतियोगात्मक सामर्थ्य और सन्नद्धता का निर्धारण करती है और यह गुणवत्ता ही देश के भावी जीवन की नींव है।''

अत: यह समाज के पिछड़े एवं अग्रणी सभी वर्गों के और पूरे राष्ट्र के हित में होगा कि वे सर्वोत्तम शिक्षा सुनिश्चित करने को अपना लक्ष्य बनाएँ।

अत: यह समाज के पिछड़े एवं अग्रणी सभी वर्गों के और पूरे राष्ट्र के हित में होगा कि वे सर्वोत्तम प्रशासन सुनिश्चित करने को अपना लक्ष्य बनाएँ।

प्रत्येक छात्र-चाहे वह पिछड़े वर्ग का हो अथवा अग्रणी वर्ग का- यह अपेक्षा करता है कि वह सर्वोतम प्रशासन सुनिश्चित करने को अपना लक्ष्य बनाएँ।

प्रत्येक छात्र- चाहे वह पिछडे वर्ग का हो अथवा अग्रणी वर्ग का-यह अपेक्षा करता है कि वह सर्वोत्तम उपलब्ध शिक्षा प्राप्त करे और साथ ही यह प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के प्रबंधन का दायित्व भी है कि वह सर्वोत्तम उपलब्ध अध्यापन प्रतिभा की सेवाएँ संनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करे।

प्रत्येक नागरिक-चाहे वह पिछड़े वर्ग का हो अथवा अग्रणी वर्ग का-यह अपेक्षा करता है कि वह सर्वोत्तम उपलब्ध प्रशासन का लाभ प्राप्त करे और साथ ही यह प्रत्येक संस्था का दायित्व भी है कि वह सर्वोत्तम उपलब्ध प्रशासनिक प्रतिभा की सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करे।

अत: अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

अत: प्रशासकों की नियुक्ति के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

आरक्षण कोटा के अंतर्गत की जानेवाली कुछ अध्यापकों की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के छात्रों के हित में नहीं होगी, क्योंकि अग्रणी वर्ग के सदस्यों के समान स्तर पर पहुँचने के लिए उन्हें अपने प्रतिस्पर्धात्मक सामर्थ्य स्तर को बढ़ाकर अग्रणी वर्ग के सामर्थ्य स्तर पर लाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अकुशल अध्यापन से समाज के अन्य वर्गों द्वारा प्राप्त की जानेवाली शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।

वैसे, समाज के उन्नत वर्ग से आनेवाले छात्र कोचिंग आदि के माध्यम से अपनी शिक्षा की गुणवत्ता की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग से आनेवाले छात्रों के पास इस कमी को पूरा करने का कोई साधन नहीं है। अध्यापकों का योग्य तथा प्रतिष्ठित होना भी जरूरी है और यदि उनकी नियुक्ति आरक्षण कोटा के बाहर से की जाती है तो यह और अधिक संभव है।

> ''सामान्य प्रशासन की गुणवत्ता और संस्थाओं के कुशल संचालन का सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शासन-प्रशासन की गुणवत्ता न केवल व्यक्ति की, अपितु पूरे देश की प्रतियोगात्मक सामर्थ्य और सन्नद्धता का निर्धारण करती है और यह गुणवत्ता ही देश के भावी जीवन की नींव है।''

शिक्षण संस्थानों में अनुशासनहीनता का एक कारण अध्यापकों की अयोग्यता और अकुशलता भी है, चाहे वे पिछड़े अथवा उन्नत किसी भी वर्ग के हों। अत: यह आवश्यक है कि अध्यापन के पेशे के मामले में किसी तरह का आरक्षण कोटा न रखा जाए।

अब जब छात्रों के स्थान पर नागरिकों और अध्यापकों के स्थान पर प्रशासकों या मंत्रियों को करके देखें; माननीय न्यायाधीश का सुझाव देश के हित के कितने खिलाफ है। जरा सोचें, जब पुलिस (विभाग) का (अर्हता) स्तर गिर जाता है तो क्या होगा- अमीर अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रबंध कर लेंगे और सारी मार झेलनी पडेगी गरीबों को।

खैर, माननीय न्यायाधीश आगे कहते हैं कि पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों को वरीयता दी जाए, बशर्ते उनकी योग्यता का स्तर उन्नत वर्ग के अभ्यार्थियों के समान हो।

और यह वरीयता देने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्यांकन की पद्धति ''परंपरागत अंक परीक्षा पद्धति पर आधारित न हो बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति हो, जो अध्यापक, अभिरूचि, अभिव्यक्ति क्षमता, चरित्र, विद्वत्ता आदि तत्वों पर आधारित हो....।''और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अभ्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करने वाली चयन समिति के सदस्य भी पिछड़ी जातियों के हों।

हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रशासकों के मूल्यांकन के संदर्भ मे यदि हम अभिरूचि, चरित्र, क्षमता अथवा योग्यता की बात करें तो माननीय न्यायाधीश उसे एक ही बार में खारिज कर देगे। प्रशासन के मामले में सहानुभूति और समानुभूति की आवश्यकता है, शिक्षा के मामले में नहीं।

अब बारी आती है न्यायामूर्ति टी.के. थोम्मेन की, जो मामले को जाति से परे ले जाकर देखते हैं और जिनकी सोच अन्य सभी प्रगतिशील न्यायाधीशों की तरह ही समानुभूति पर आधारित है; यह अलग बात है कि अनका सुझाव यदि हमें एक समस्या से बाहर निकालता है तो दूसरी समस्या में डाल देता है।

जी हाँ, वह कहते हैं, ''नगरीय मलिन बस्तियों में और फुटपाथों पर रहनेवाले तथा कुष्ठ आदि बीमारियों से पीड़ित निरीह लोग और ऊँचे- ऊँचे भव्य भवनों के आस-पास भीख माँगकर जीवन- निर्वाह करनेवाले लोग जाति, धर्म आदि की सीमाओं से परे हैं।'' इसे कहते है गैर-जातिवादी और धर्मनिरपेक्ष सोच! और फिर शुरू होता है शहरों का जाल; ''ये (निरीह लोग) पिछड़ेपन की जीती-जागती मिसाल और हमारी राष्ट्रीय उदासीनता के द्योतक हैं, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना पर करारा आघात हैं।'' और, अब नीति संबंधी नुस्खा, ''उनकी जाति या धर्म जो भी हो, लेकिन जानवरों की तरह जीवन बिताने के लिए विवश और कूड़े के बरतनों से उठाई गई (खाने लायक) चीजें खाकर या चलती कारों से उछाले जानेवाले सिक्कों से अपना पेट भरनेवाले ये आहत एवं निरीह लोग परंपरागत असमानताओं और भेदभाव से मुक्त होने के लिए हरसंभव सकारात्मक उपाय के हकदार हैं।''

तो अब ये भी हकदार हो गए। और उनके इस हम का आधार उनकी 'जानवरों की तरह जीवन बिताने' की विवशता और 'कूड़े के बरतनों से उठाई गई चीजें खाकर या चलती कारों से उछाले जानेवाले सिक्कों से अपना पेट भरने' की विवशता है। और इस कारण उनका हक क्या बनता है- परंपरागत असमानताओं और भेदभाव से मुक्त होने के लिए हरसंभव सकारात्मक उपाय।

इसका अर्थ तो यही हुआ कि परंपरागत असमानताओं और भेदभाव से मुक्त कराने के लिए सरकारी नौकरियों में इन्हें आधा आरक्षण दिया जाना चाहिए। कल्पना करें, यदि केवल इसी आधार पर-कि ये जानवरों की तरह जीवन बिताने के लिए विवश हैं और कूड़े के बरतन से उठाई गई चीजों या चलती कार से उछाले जानेवाले सिक्कों से अपना पेट भरते हैं- मलिन बस्तियों और फुटपाथों पर रहने वाले निरीह प्राणियों को प्रशासनिक पदों पर बैठा दिया जाए तो देश की और प्रशासन की स्थिति क्या होगी ? माननीय न्यायाधीश से कौन कहे कि सरकार को इन निरीह और बेसहारा लोगों के पुनर्वास के लिए तथ उन्हें शिक्षा, स्थास्थ्य, चिकित्सा आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

यहाँ मुख्य बिंदु 'हरसंभव सकारात्मक उपाय' है, जिसे इन निर्णयों में प्राय: इसी संदर्भ में लिया जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्देशित वर्गों-समूहों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रत्येक स्तर पर आधे पद आरक्षित कर दिए जाने चाहिए।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

संभागीय एवं जिला मुख्यालयों पर मनाया गया समता आन्दोलन समिति का स्थापना समारोह

''आर्थिक आधार पर आरक्षण खत्म करेगा जातिवाद: समता आन्दोलन''

समता आन्दोलन ने अपने स्थापना दिवस की परम्परा को विस्तार देते हुये इस बार बारहवां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में स्थापना मास के रूप में मनाया। हालांकि मुख्य समारोह तो जयपुर में आयोजित हुआ लेकिन इसके बाद प्रदेशभर में अनेक स्थानों पर अलग-अलग दिनों में स्थापना दिवस धूम-धाम से मनाया गया। इस क्रम में कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि संभाग मुख्यालयों के अलावा चित्तौडगढ और करौली में भी समता आन्दोलन के भव्य स्थापना दिवस आयोजित किये गये।

-:: बीकानेर ::-

स्थानीय जैलवेल स्थित त्यागी वाटिका सामुदायिक भवन में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 102वें संविधान

संशोधन द्वारा देश के सभी राज्यों से ओबीसी घोषित करने की सभी शक्तियॉ छीन कर संसद को दी जा चुकी है। इस संविधान संशोधन द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बेकवर्ड क्लासेज को संविधानिक दर्जा दिया जा चुका है और ओबीसी घोषित करने की प्रक्रिया और परिभाषा भी संविधान में शामिल कर दी गई है। अब 15 अगस्त 18 के बाद पूरे देश में एनसीबीसी की अभिशंषा के आधार पर ही संसद द्वारा बिल पारित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करके ओबीसी की घोषणा की जायेगी। इस अवसर पर दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष कैप्टन गुरविन्दर सिंह, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष ऋषिराज राठौड के अलावा हरिराम गहलोत, डा. मोहन लाल जाजडा, राजेश

चुरा, अरूण वैद, पल्लवी शर्मा, ओमप्रकाश बोहरा और डी.के.गौड ने भी अपने विचार प्रकट किये।

-:: उदयपुर ::-

गत वर्ष आर्थिक कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। ये देश का पहला आरक्षण है, जो जातिगत आधार पर नहीं दिया गया है। इस आरक्षण ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की राह खोल दी है। इससे जातिवाद का जहर खत्म होगा और वास्तवित हकदार को लाभ मिलेगा। यह बात कहते हुये समता आन्दोलन के अध्यक्ष पाराशर नारायण ने यह मांग उठाई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के ये नियम सभी तरह के आरक्षण पर लागू कर दिये जाने चाहिये। शर्मा ने कहा कि संविधान पीठ ने वर्ष 2006 के जस्टिस एमएन रामनाथ के फैसले को सही बताया है। शर्मा नेकहा कि राजनीतिक आरक्षण के खिलाफ 1999 के बाद से 16 याचिकाएँ लम्बित पड़ी है। इसके लिए समता आन्दोलन तेजी लाएगा क्योंकि 2020 में उसकी समय सीमा खत्म हो रही है।

-:: चित्तौडगढ ::-

खरडिया महादेव मंदिर में आयोजित समता आन्दोलन समिति के स्थापना दिवस समारोह में समता आन्दोलन समिति के जिलाध्यक्ष राधेश्याम

जोशी, विकास अग्रवाल एवं भूपेन्द्र आचार्य सहित समता आन्दोलन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बैठक में बाहर से पधारे हुये अधिकारियों का स्वागत किया।

समारोह में बोलते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 11 लोगों से समिति शुरू की थी और आज 11 राज्यों में समिति की शाखाएँ चल रही है। राजस्थान प्रदेश में 2800 ग्राम पंचायतों में समिति की शाखाएँ बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 103वें संविधान संशोधन के दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षित और अनारक्षित का भेदभाव खत्म हो गया है।

-:: भरतपुर ::-

समता आन्दोलन समिति का बारहवां स्थापना महोत्सव गिरीश रिसोर्ट भरतपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में व संभागीय अध्यक्ष हेमराज गोयल की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर शर्मा ने बताया कि पिछला वर्ष समता आन्दोलन के उद्देश्यों की पूर्ति के हिसाब से अब तक का सफलतम वर्ष रहा है। शर्मा ने बताया कि 103वें संविधान संशोधन से पूरे देश की सौ प्रतिशत आबादी आरक्षित हो

चुकी है। इस संशोधन का दूसरा प्रभाव यह होगा कि अब देश में जाति आधारित आरक्षण समाप्ति की शुरूआत हो चुकी है।

महोत्सव को जिलाध्यक्ष अरविन्द शर्मा, शहर अध्यक्ष सुनील बंसल, युवा अध्यक्ष मनीष विधौरिया, राज्य के युवा अध्यक्ष जितेन्द्र तंवर, तहसील अध्यक्ष अशोक काका आदि ने सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पूरे जिले से समतावादी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

-:: कोटा ::-

देश में जातिगत आरक्षण से जातिवाद और भेदभाव पूर्ण अन्याय बढा, लेकिन अब जातिवाद खत्म होने की ओर अग्रसर है। अब कोई अनारक्षित नहीं रहा। इसलिए लड़ाई आरक्षण और अनारक्षण की अब खत्म हो गई। 2 अप्रेल 2018 में हुआ हिंसक आंदोलन ही इसकी प्रमुख जड़ है। यह बात समता आन्दोलन समिति के अध्यक्ष पाराशर नारायण ने महावीर नगर प्रथम स्थित सनाढ्य भवन, कोटा में आयोजित 12वें स्थापना दिवस समारोह में कही। उन्होंने कहा कि समता आन्दोलन आरक्षण से वंचित वर्ग की आवाज है। प्रधानमंत्री यह मानते है कि अब देश में जात पात की राजनीति का स्थान नहीं है, केवल दो जाति है एक गरीब और दूसरा गरीबों को सहारा देने वाला तो फिर जातिगत आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

कार्यक्रम में संरक्षण रमेश गुप्ता, महामंत्री कमल सिंह, ओबीसी

प्रकोष्ठ अध्यक्ष हरिशंकर सैनी, महिला अध्यक्ष कीर्ति, प्रदोष भाटिया ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पदोन्नति मं आरक्षण जैसे मुद्दों का विरोध करने वाले पुरोधा सुनील शर्मा, डा. हेमंत जैन, सुनील सक्सेना, सुरेश शर्मा, हरिशंकर सैनी, हरीश बग्गा का सम्मान किया गया।

-:: करौली ::-

शहर के ब्राहम्ण सभा भवन में समता आन्दोलन का स्थापना समारोह मनाया गया। समता आन्दोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा

कि समता आन्दोलन समिति आरक्षण विरोधी नहीं है। बल्कि हम संविधान के प्रारूपों के अनुरूप समानता के अधिकार के पक्षधर है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित आरक्षपण से आरक्षित और अनारक्षित समाजों के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है अत: जाति आधारित आरक्षण को देश हित में समाप्त करना आवश्यक हो गया है। जिलाध्यक्ष रमेश पाराशर ने कहा कि समता आन्दोलन पूर्णत गैर राजनैतिक संस्था है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का विरोध राजस्थान से शुरू हुआ था। लेकिन विगत सरकारों की उदासीनता के कारण पूर्णत आज भी लागू नहीं हुआ है जबकि यूपी सहित कई अन्य राज्यों में उसकी पालना हो रही है।

-:: हनुमानगढ ::-

जिला मुख्यालय हनुमानगढ पर समता आन्दोलन समिति के एक सादे किन्तु भव्य स्थपना समारोह में अध्यक्ष पाराशर नारायण ने आंदोलन को आगे बढाने में हनुमानगढ इकाई के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भी हमें आवश्यकता हुई इस जिले से बहुत बड़ी संख्या में जन व धन का सहयोग हमें मिला। मंच पर उनके साथ जिलाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदीप एरी, सत्यनारायण गुप्ता और रमेश रहेजा ने भी अपने विचार प्रकट किये।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in